TO BE PUBLISHED IN PART II SECTION 3 SUB-SECTION (ii) OF THE EXTRAORDINARY GAZETTE OF INDIA

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CIVIL AVIATION
RAJIV GANDHI BHAWAN, NEW DELHI

29 November, 2016

NOTIFICATION

S.O.... Whereas M/s A R Airways Ltd. Cessna Citation CE 550 SII aircraft VT-KMB was involved in a serious incident at Banswara airport, Rajasthan on 27.10.2016.

And whereas, it appears to the Central Government that it is expedient to investigate and determine the causes and contributory factors leading to the said serious incident and make recommendations to avoid recurrence of such serious incidents in future.

Now, in the exercise of the powers conferred by the Rules 11(1) of the Aircraft (Investigation of Accidents and Incidents) Rules, 2012, the Central Government hereby directs that a formal inquiry in the serious incident be made.

Accordingly, the Central Government hereby appoints a Committee of Inquiry headed by Sh. Jasbir Singh Larhga, Assistant Director, AAIB with following member:

(i) Sh. K Ramachandran, Air Safety Officer, AAIB as member

The committee will also take the assistance of other experts/agencies whenever required.

The headquarters of the Committee will be at New Delhi.

The Committee will complete its inquiry and submit its report to the Central Government preferably within six months.

(B. S. Bhullar)
Additional Secretary to Govt. of India

No. AV-15013/9/2016-DG

To,

The Manager,
Govt. of India Press, Mayapuri
Outer Ring Road, New Delhi

भारत के असाधारण राजपत्र के भाग-II खंड 3 के उप खंड (ii) में प्रकाशन के लिए

भारत सरकार

नागर विमानन मंत्रालय

राजीव गांधी भवन, नई दिल्ली

29 **नवंबर, 2016**

अधिसूचना

सा. आ...... जबकि मेसर्स ए आर एयरवेज लिमिटेड सेसना साइटेशन CE 550 SII विमान VT-KMB दिनांक 27.10 2016.को बांसवाड़ा हवाईअड्डा, राजस्थान में गंभीर घटना का शिकार हो गया था।

और जबकि, केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि गंभीर घटना के कारण और अंशदायी कारकों का अन्वेषण और निर्धारण किया जाना, और भविष्य में ऐसी गंभीर घटना की पुनरावृति से बचने के लिए सिफारिशें करना समीचीन है।

अब, वायुयान (दुर्घटना एवं घटना जांच) नियमावली, 2012 के नियम 11 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा इस गंभीर घटना की औपचारिक जांच का निदेश देती है।

तदनुसार, केन्द्रीय सरकार श्री जसबीर सिंह लारघा, सहायक निदेशक, एएआईबी, की अध्यक्षता में निम्नलिखित सदस्यों को शामिल कर जांच समिति नियुक्त करती है-:

(i) श्री के रामचंद्रन, विमान सुरक्षा अधिकारी, ए ए आईबी, सदस्य

समिति, जब भी अपेक्षित होगा, अन्य विशेषज्ञों/एजेंसियों की सहायता भी लेगी।

समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

समिति अधिमानतः छह महीने के भीतर इसकी जांच पूरी करके अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगी।

(बी एस भुल्लर)
अपर सचिव, भारत सरकार

सं/15013-एवी.9-2016/डीजी

सेवा में

प्रबंधक
भारत सरकार मुद्रणालय, मायापुरी
बाहरी रिंग रोड, नई दिल्ली